छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

वाहनों के विक्रय हेतु निविदा

क्रमांक 17 /वि.स./वा./2017, रायपुर, दिनांक 05 / 08 /2017

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय द्वारा निम्नलिखित वाहनों के विक्रय हेतु सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 25 अगस्त, 2017 तक स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन समय में 11:00 से 04:00 बजे तक दे सकते हैं :-

क्रम	वाहन क्रमांक/प्रकार	मॉडल वर्ष	अपसेट मूल्य
1	C.G.02/A-0004 एम्बेसेडर	2005	40,700/-
2	C.G.02/A-0141 टाटा सूमो	2005	35,000/-
3	C.G.02/C-0009 टाटा सफारी	2010	1,05,000/-

निविदाकर्ता को निविदा के साथ वाहन क्र. 1 एवं 2 के लिए रूपये दस हजार एवं क्र. 3 के लिए रूपये बीस हजार का बैंक ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी के रूप में जो "प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा" को देय हो, संलग्न करना होगा। वाहनों का अवलोकन कार्यालयीन दिवसों में अपरान्ह 02:00 बजे से 04:00 बजे के मध्य कर सकते हैं।

निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें किसी भी कार्यालयीन दिवस में वाहन शाखा से राशि रू. 100.00 में प्राप्त की जा सकती है, अथवा छत्तीसगढ़ विधानसभा की वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in से डाउन लोड की जा सकती है । जिसका शुल्क रू. 100/- विधानसभा सचिवालय में निविदा जमा करने के पूर्व जमा करना होगा ।

निविदा को मान्य या अमान्य करने अथवा निरस्त करने का अधिकार प्रमुख सचिव, विधानसभा को होगा।

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

निविदा की शर्ते

1. वाहन जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में मूल्य दर आमंत्रित की जाती है एवं प्रदाय भी उसी स्थिति में किया जावेगा ।
2. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट ''प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा'' के नाम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा। नगद राशि किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगी। बिना अमानत राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. निविदा मूल्य साफ सुंदर और सुस्पष्ट अंकों व शब्दों में लिखा जाना अनिवार्य होगा। कॅाट छॅाट वाली निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
4. निविदा मूल्य दर बंद लिफाफे में स्वीकार की जायेगी । लिफाफे पर वाहन क्रमांक.......... हेतु निविदा लिखकर प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, जीरो प्वाइंट, रायपुर के पते पर जमा किया जायेगा।
5. अधिकतम प्रस्तावित दर एवं द्वितीय प्रस्तावित दर वाले निविदाकर्ता की अमानत राशि रोककर शेष की अमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
6. वाहन की अपसेट प्राईज प्राप्त न होने की स्थिति में उच्चतम दर वाली प्रथम एवं द्वितीय निविदा अमानत राशि आगामी कार्यवाही तक रोकी जाएगी । शेष निविदाओं की अमानत राशि नियमानुसार निविदाकारों को वापस कर दी जाएगी ।
7. निष्प्रयोजित वाहन की नीलामी एवं विक्रय संबंधी अंतिम निर्णय प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय का होगा ।
8. सचिवालय के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त निविदा फार्म ही मान्य होंगे । बिना हस्ताक्षरित फार्म स्वतः निरस्त माने जायेंगे ।
9. सफल निविदाकर्ता को निविदा मूल्य राशि निविदा स्वीकृति की तिथि से 07 दिवस के अंदर जमा करना होगा। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में जमा राशि राजसात करते हुए द्वितीय अधिकतम बोली लगाने वाले को राशि जमा करने के लिए निर्देश दिये जाने हेतु विचार किया जावेगा।
10. प्रदाय आदेश जारी होने के 10 दिवस में वाहन के पंजीकरण की कार्यवाही स्वयं के व्यय से करानी होगी, विलम्ब होने पर प्रतिदिन रू. 500/–विधान सभा सचिवालय में जमा कराना होगा । पंजीकरण की कार्यवाही करने के उपरान्त ही वाहन सुपुर्द किया जायेगा ।
11. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
13. निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जावेगा कि उसे उपरोक्त सभी शर्तें स्वीकार है ।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

निविदा फार्म

क्र0 ....

प्रति,

प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय,
जीरो प्वाइंट,
रायपुर

विषयः– निष्प्रयोजित वाहन क्रय करने हेतु निविदा जमा करने बाबत् ।

संदर्भः– आपका विज्ञापन क्रमांक /वि.स./वा./2017, दिनांक /08/2017 .

मेरे द्वारा निष्प्रयोजित वाहन के विक्रय से संबंधित समस्त निविदा शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है, जिनसे मैं सहमत हूँ, तथा निम्नलिखित वाहन क्रय हेतु निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ :–

1. वाहन क्रमांक ....
2. वाहन का प्रकार ....
3. वाहन क्रय हेतु प्रस्तावित राशि
   (अंकों में) ....
   (शब्दों में) ....

अमानत के रूप में संलग्न बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक का विवरण			
बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्र0	दिनांक	बैंक एवं शाखा का नाम	राशि रूपये
			अंकों में रूपये..........................शब्दों में रूपये..........................

5. निविदाकर्ता का नाम ....
6. पिता का नाम ....
7. पूर्ण पता ....
   ....
8. फोन/मोबाईल नम्बर ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर

नाम (   )